अधीक्षण अभियंता का कार्यालय

बिहार राज्य जल पर्षद
गंगा परियोजना अंचल सं0–2,
पश्चिमी बोरिंग कैनाल रोड, पटना–800001.

पत्रांकः– ___________/ पटना, दिनांकः–.../

सेवा में,

कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर पंचायत, मैरवा (सीवान)।

विषयः– **ई.–टेंडरिंग पद्धति द्वारा राज्य योजना अन्तर्गत पुनर्निविदा आमंत्रण सूचना सं0–07/2018–19 (ग्रुप सं0–08) के कार्य मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजनान्तर्गत Water supply distribution & House to House service connection of Nal Jal in ward No.-08 under Nagar Panchayat Mairwa का कार्य आवंटन करने के सम्बन्ध में।**

प्रसंगः– आपका पत्रांक–707 दिनांक–29/08/2018

महाशय,

उपर्युक्त विषयक एवं प्रासंगाधीन पत्र से ई.–टेंडरिंग पद्धति द्वारा राज्य योजना अन्तर्गत पुनर्निविदा आमंत्रण सूचना सं0–**07/2018–19 (ग्रुप सं0–08)** के कार्य मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजनान्तर्गत **नगर पंचायत मैरवा क्षेत्र के वार्ड संख्या–08 में हर घर नल का जल आपूर्ति का निर्माण कार्य** हेतु मात्र 01 (एक) निविदाकार **श्री शशि कुमार सिंह, ग्राम–ताली बुजुर्ग, पोस्ट–ताली, थाना–गुठनी, जिला–सीवान** द्वारा भाग लिया गया है, जो कि एकल निविदा है और यह पुनर्निविदा है। मुख्य अभियंता, बिहार राज्य जल पर्षद, पटना के ज्ञाप **सं0–2040** दिनांक–**12.10.18** के द्वारा निविदा निस्तार करने का अनुमति प्रदान की गयी है।

प्रस्तुत तुलनात्मक विवरणी के अनुसार निविदाकार **श्री शशि कुमार सिंह** के द्वारा परिमाण विपत्र (B.O.Q Rate) दर उद्धित किया गया है।

अतः **श्री शशि कुमार सिंह, ग्राम–ताली बुजुर्ग, पोस्ट–ताली, थाना–गुठनी, जिला–सीवान** को परिमाण विपत्र की राशि **₹33,31,500/-** (तैतीस लाख एकतीस हजार पाँच सौ) रूपये मात्र पर उक्त कार्य आवंटित किया जाता है।

कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, मैरवा एकरारनामा करने के पूर्व वांछित कागजातों से संतुष्ट होने के उपरान्त उसका सत्यापन कराकर ही एकरारनामा करेगें एवं निम्न निर्देशों का दृढ़तापूर्वक पालन करते हुए एकरारनामा करेंगे।

1. कार्य समाप्ति की अवधी 06 (छः) माह होगी।
2. एकरारनामा हेतु पूर्ण रूपेण जांचोपरान्त परिमाण विपत्र के अवयवों को शुद्ध एवं वैद्द स्वरूप प्रयुक्त किया जाय, जिसमें दर अंक एवं शब्द दोनों में हो।
3. रोटरी रिभर्स मशीन के भौतिक सत्यापन संबंधित सयंत्र का प्रमाणक एवं स्वसत्यापित सूची संबंधित निविदाकार को संलग्न करना आवश्यक होगा। जिसका भौतिक सत्यापन करने के बाद ही एकरारनामा करना सुनिश्चित करेंगे।
4. अग्रधन की राशि की जांच निश्चित रूप से करवाना सुनिश्चित करेंगे।

कृ०पृ०उ०

5. कार्य का एकरारनामा 10 (दस) दिनों के अन्दर सम्पन्न कराकर कार्य भीघ्र प्रारम्भ कराया जाय।

6. अगर निविदा में अंकगणितीय गणना में कोई त्रुटि रह गई तो इसकी सूचना निश्चित रूप से की जाय एवं निविदा का कार्यान्वयन तब तक नहीं किया जाय जब तक कि इस स्तर से समुचित निदेश प्राप्त नहीं हो जाय।

7. कार्य का सम्पादन तकनीकी स्वीकृति में दिये गये टीका–टिप्पणी के अनुरूप विशिष्टियों के अनुसार की कराया जाय।

8. कार्य का निष्पादन कार्यपालक अभियंता (डुडा), सीवान के देख–रेख में कराना सुनिश्चित किया जाय एवं कार्य को निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत पूर्ण करायी जाय।

9. कार्य आरम्भ करने के पूर्व प्री लेवेल अवश्य करा लेगें, ताकि कार्य पूर्ण होने पर कृत कार्य की मात्रा की गणना सही ढ़ग से की जा सके।

10. पाईप लाईन बिछाने के पूर्व HDPE/MDPE पाईप की गुणवत्ता की तृतीय पार्टी जांच (Third Party inspection) CPET हाजीपुर से अवश्य करा ली जाय। अन्य सामान जैसे फेरूल, फिटिंग्स इत्यादि **ISI** मार्क का ही प्रयुक्त किया जाय।

11. कार्य स्थल के आरंभिक एवं अंतिम बिन्दु पर योजना संबंधी सूचना पट्ट **Mild steel** Angle पर लगाना आवश्यक है, जो **PCC** से **Fix** किया गया हो।

प्राप्त तुलनात्मक विवरणी मूलरूप में सभी निविदा कागजात के साथ अग्रेतर कार्रवाई हेतु वापस की जा रही है।

विश्वासभाजन
ह0/–
अधीक्षण अभियंता,
गंगा परियोजना अंचल सं0–2, पटना।

ज्ञापांकः–................../ पटना, दिनांकः–................................/

प्रतिलिपिः–कार्यपालक अभियंता, जिला शहरी विकास अभिकरण, सीवान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
अधीक्षण अभियंता,
गंगा परियोजना अंचल सं0–2, पटना।

ज्ञापांकः–814/ पटना, दिनांकः–12/10/2018/

प्रतिलिपिः–श्री सोमेश कुमार सिंह, कार्यपालक अभियंता–सह–नोडल पदाधिकारी (नल–जल निश्चय योजना), नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

12/10/18

अधीक्षण अभियंता,
गंगा परियोजना अंचल सं0–2, पटना।